

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026

हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 18 मार्च 2026 को राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 (RAJASTHAN INDUSTRIAL PARK PROMOTION POLICY 2026) का अनावरण किया। इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करना है।

अधिसूचना जारी : 06 मार्च 2026

अवधि : - अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष तक।

क्रियान्वयन एजेंसी (IMPLEMENTING AGENCY) :

- RIICO द्वारा आवंटित भूमि के लिए, चाहे लीज़ आधार पर हो या PPP मॉडल पर, क्रियान्वयन एजेंसी RIICO होगी।
- जहाँ भूमि डेवलपर द्वारा स्वयं प्राप्त और व्यवस्थित की जाती है, वहाँ क्रियान्वयन एजेंसी उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त, राजस्थान सरकार होगा।

उद्देश्य (OBJECTIVES) :

- व्यापक औद्योगिक पार्क विकास को बढ़ावा देना।
- सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- भविष्य के लिए औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम करना।

नीति का दायरा (SCOPE OF THE POLICY) :

- यह उन औद्योगिक पार्कों पर लागू होती है जो निजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, जिसमें प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता, नियामकीय एवं प्रक्रियात्मक सुविधा तथा परियोजना क्रियान्वयन एवं दीर्घकालिक रखरखाव के लिए संस्थागत समर्थन शामिल है।

औद्योगिक पार्क के विकास का मॉडल :

यह नीति भूमि क्रय/अधिग्रहण और स्वामित्व को चार अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत करती है:

A – RIICO द्वारा आवंटित भूमि पर पूर्णतः विकसित औद्योगिक पार्क।

B – ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें डेवलपर आवश्यक भूमि का कम से कम 80% स्वयं व्यवस्थित करता है और शेष 20% तक भूमि RIICO द्वारा आवंटित की जाती है।

C – ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से डेवलपर द्वारा स्वयं व्यवस्थित भूमि पर विकसित किए जाते हैं।

D – ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें RIICO संयुक्त उद्यम या विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) में न्यूनतम 26% इक्विटी हिस्सेदारी के बदले भूमि का योगदान देता है।

मॉडल 'A' से 'D' के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर निजी औद्योगिक पार्क को निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार होगा।

अन्य प्रावधान :-

- राज निवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
- औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल न्यूनतम 50 एकड़ होगा और ऐसे औद्योगिक पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी।
- औद्योगिक पार्क के आकार के आधार पर पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो निम्न होगा -
 - 100 एकड़ तक → ₹20 करोड़ तक
 - 100 से 250 एकड़ → ₹30 करोड़ तक
 - 250 एकड़ से अधिक → ₹40 करोड़ तक
 - यह अनुदान राज्य सरकार और RIICO द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।
- सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (CETP) के निर्माण पर किए गए व्यय का 50% (अधिकतम ₹12.5 करोड़) प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक RIPS - 2024 के तहत विभिन्न छूटों/सब्सिडी के पात्र होंगे।

FAQ :-

प्रश्न 1 :- राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 से संबंधित निम्न निम्न कथनों पर विचार करें-

1. नीति की अधिसूचना 06 मार्च 2026 को जारी हुई।
2. नीति का अनावरण 18 मार्च 2026 को किया गया।
3. नीति की वैधता 10 वर्ष है।

सही विकल्प है ?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

सही उत्तर : (A)

प्रश्न 2 :- निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है

- (A) मॉडल A – डेवलपर द्वारा पूरी भूमि
- (B) मॉडल B – 80% डेवलपर + 20% RIICO
- (C) मॉडल C – PPP मॉडल
- (D) मॉडल D – केवल RIICO भूमि

सही उत्तर : (B)

प्रश्न 3 :- राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 में औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम क्षेत्र कितना निर्धारित किया गया है ?

- (A) 25 एकड़
- (B) 50 एकड़
- (C) 75 एकड़
- (D) 100 एकड़

सही उत्तर : (B)

प्रश्न 4 :- कथन (A): राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 में मॉडल D के अंतर्गत RIICO की न्यूनतम 26% इक्विटी हिस्सेदारी होती है

कारण (R): मॉडल D में परियोजना संयुक्त उद्यम या SPV के रूप में विकसित होती है
सही विकल्प चुनें -

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही कारण है
- (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A का सही कारण नहीं है
- (C) A सही है लेकिन R गलत है
- (D) A गलत है लेकिन R सही है

सही उत्तर : (A)

